

UPHR040274872022



Presented on : 13-10-2022
 Registered on : 13-10-2022
 Decided on : 01-07-2025
 Duration : 2 years, 8 months, 19 days

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई।
परिवाद संख्या:- 21853/2022
हरीब्रह्म शुक्ला बनाम विभोर उर्फ विनोद कुमार आदि।

दिनांक:-01.07.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। परिवादी अनुपस्थित है। बार-बार पुकार कराये जाने पर भी परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही परिवादी की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र और न ही हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है।

आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० हेतु नियत है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा परिवादी प्रस्तुत परिवाद को चलाना नहीं चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिवादी की लगातार अनुपस्थिति के कारण विपक्षीगण के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उक्त वाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हरदोई

J.O.Code-UP2102